

महावली गेडा हर्ड । उच्चपक्ष अधिकरण उध.  
 निगराकार स्वयं उधारित । उच्चपक्षकारण द्वारा  
 पूर्व में प्रस्तुत राजीनामा प्राप्ति हेतु निवेदन  
 किया गया कि उच्चपक्षों के बीच लोक सुशासन  
 उदालत की भावना व आपसी समझौदा  
 से राजीनामा हो गया है जिससे निगराकार  
 उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही  
 नहीं-चाहना है एवं निगरानी को विरत  
 करने कावाल निवेदन किया गया है ।

*(Signature)*  
 J. Indurthy  
 15/05/2022

आतः प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा

पार्थना मल तथा निगराकार द्वारा अब  
 आगे कोई कार्यवाही नहीं-चाहने से निगरानी  
 अंतर्गत धारा 97 राजस्थान मंचायती राज  
 अधिनियम में कार्यवाही इसी स्तर पर  
 ट्रेप समाप्त की जाती है । प्रकरण नंबर  
 से कम हो ।

जिला कलक्टर  
 भीलवाड़ा